राजस्थान सरकार

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाऐं, टोंक

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ......65......./टोंक/20.12.....-..2013

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोविन्द देव सेवा-समिति टोंक ——xx—— राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज दिनांक......छः.........माह मार्च.......सन. दो हजार तेरह.....को दिया गया है।

रजिस्ट्रार संस्थाऐं

(टोंक)

संस्था का नाम :– श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक

संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

पूर्व प्रबंध कार्यकारिणी					वर्तमान संशोधित प्रबंध कार्यकारिणी				
क्र. सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	क्र. सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति	व्यवसाय	पता	पद
01	श्री अशोक कासलीवाल पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन	वकालात	5, शास्त्री नगर टोंक	अध्यक्ष	01	श्री अरविन्द कुमार जौहरी पुत्र स्व. श्री गोपाल बाबू	व्यवसायी	अम्बिका कॉलोनी खलियानो की बगीची वार्ड न. 33 टोंक	अध्यक्ष
02	श्रीमति सजनी चौधरी पत्नि श्री भंवरलाल चौधरी	समाज सेवा	9/2 विकास विहार कॉलोनी देवली रोड़ टोंक	सचिव	02	श्रीमति वन्दना निगम पत्नि श्री राजेश कुमार निगम	समाज सेवा	26, वनस्थली विद्यापीठ जिला टोंक	सचिव
03	श्री वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	समाज सेवा	2/235, हाऊसिंग बोर्ड टोंक	कोषाध्यक्ष	03	श्रीमति मधु जैन पत्नि श्री महेन्द्र जैन	प्राइवेट टीचर	पांच मन्दिर माणक चौक पुरानी टोंक, टोंक	कोषाध्यक्ष
04	श्री दिनेश कुमार बुन्देल पुत्र श्री रामरतन कोली	व्यवसाय	दिशी कुंज सुभाष कॉलोनी न्यू बस स्टेण्ड टोंक	सदस्य	04	श्री तारिक राना पुत्र श्री जैनल अबेदिन राना	निजी कार्य	मुनिर खां की मस्जिद के पास टोंक	सदस्य
05	श्री धर्मेन्द्र सिंह राजावत पुत्र स्व. श्री पृथ्वीसिंह राजावत	समाज सेवा	मेहन्दी बाग कारीगरों की गली टोंक	सदस्य	05	श्रीमति नुपूर माथुर पत्नि श्री रवि माथुर	गृहिणी	6 बी ब्रहमपुरी कॉलोनी रणथम्भौर रोड़ सवाईमाधोपुर	सदस्य
06	श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री महेश कुमार शर्मा	गृहिणी	ग्राम चमनपुरा पोस्ट लाम्बा तह. व जिला टोंक	सदस्य	06	श्री इस्लाम मियां पुत्र श्री अहमद खांन	व्यवसायी	मस्जिद के पीछे धन्नातलाई टोंक	सदस्य
07	श्रीमति कन्या देवी पत्नि श्री बाबूलाल यादव	गृहिणी	ग्राम बिचपुडी पंचायत चन्दलाई तह. व जिला टोंक	सदस्य	07	श्रीमति नील कमल सक्सैना पत्नि रविन्द्र कुमार जौहरी	गृहिणी	अम्बिका कॉलोनी खलियानो की बगीची वार्ड न. 33 टोंक	सदस्य
08	श्री सूरज चौधरी पुत्र श्री हीरालाल चौधरी	समाज सेवा	आदर्श नगर टोंक	सदस्य	08	श्री चौथमल बैरवा पुत्र श्री अम्बा लाल बैरवा	कृषि	ग्राम पोस्ट बमोर तह. व जिला टोंक	सदस्य
09	श्रीमति रतनी देवी पत्नि श्री सूरजमल जाट	गृहिणी	ग्राम टिटोडी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा	सदस्य	09	सुश्री [illegible] सोनी पुत्री श्री ताराचन्द सोनी	समाज सेवा	सिन्धी कॉलोनी खोजा बावडी टोंक	सदस्य
10	श्रीमति अनिता यादव पत्नि श्री प्यारेलाल यादव	गृहिणी	पार्क प्लाजा सवाईमाधोपुर चौराहा टोंक	सदस्य	10	श्रीमति ज्योति सक्सैना पत्नि श्री अनिल कुमार सक्सैना	गृहिणी	57, अंगिरा नगर, सत्यनगर के पास खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर	सदस्य
11	श्री रामजस जाट पुत्र श्री रघुनाथ जाट	कृषक	ग्राम बालापुरा पंचायत देवपुरा तह. व जिला टोंक	सदस्य	11	श्रीमति मीरा देवी पत्नि श्री मदन लाल	कामकाजी महिला	455, जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा सांगानेर बाजार, सांगानेर जयपुर	सदस्य
12	श्रीमति ममता शर्मा पत्नि श्री नवीन शर्मा	गृहिणी	अमीरगंज टोंक	सदस्य	12	श्री कर्मवीर कुमावत पुत्र सत्यप्रकाश कुमावत	व्यवसायी	साकेत कॉलोनी देवली जिला टोंक	सदस्य
13	श्रीमति सीमा पत्नि श्री राजेश खण्डवाल	गृहिणी	गली नसवारान काफला बाजार टोंक	सदस्य	13	श्री हेमराज पुत्र श्री गोरधर	प्राइवेट नौकरी	ग्राम पोस्ट पांसरोटिया तह. पीपलू जिला टोंक	सदस्य
14	श्रीमति भारती जांगिड पत्नि श्री चैतन जांगिड	गृहिणी	गली नं. 8 न्यू गोविन्द नगर रामगंज, अजमेर	सदस्य	14	श्री हारून रशीद पुत्र श्री अब्दुल रशीद	प्राइवेट टीचर	सर्किट हाउस के पास महादेवाली टोंक	सदस्य
15	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री किशनचन्द रामचन्दानी	व्यवसायी	2/476 मालवीय नगर, जयपुर	सदस्य	15	श्रीमति संतोष मीणा पत्नि श्री विमल कुमार मीणा	गृहिणी	माताजी का मोहल्ला ग्राम पोस्ट सतवाडा जिला टोंक	सदस्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह त्रावलियाँ के सम्बंध में प्रस्तुत किये गये पत्र जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. — से 45 तक उपलब्ध है कि प्रमाणित प्रति की प्रमाणित प्रति दिनांक 3-5-2019 को दी गई।

अध्यक्ष

नकल जारी करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्था, टोंक

सचिव

कोषाध्यक्ष

संस्था का नाम :– श्री गोविन्द देव सेवा समिति टोंक

विधान नियम संख्या (2) का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

विधान नियम संख्या	पूर्व पंजीकृत प्रावधान	विधान नियम संख्या	वर्तमान संशोधित प्रावधान
2	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र– इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र 9/2 विकास विहार कॉलोनी देवली रोड़ टोंक जिला टोंक तथा कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।	2	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र– इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र नेहरू कॉलेज के पास स्टेडियम के सामने कृषि मण्डी रोड टोंक जिला टोंक तथा कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं टोंक (राज.)

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रावलियां के सम्बंध में प्रस्तुत किये गये पत्र जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. — से 46 तक उपलब्ध है कि प्रमाणित प्रति की प्रमाणित प्रति दिनांक 3-5-2019 को दी गई।

नकल जारी करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्थाएं टोंक

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

60

श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक (राजस्थान)

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम : श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक (राजस्थान) है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 9/2 विकास विहार कॉलोनी, देवली रोड, टोंक (राज.) है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. शिक्षा का प्रसार, आदर्श बालकों का निर्माण, स्थान-स्थान पर शिक्षण संस्थाएँ खोलना।

2. बालकों के विकास के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा तकनिकी शिक्षण केन्द्र संचालित करना।

3. शिक्षकों के लिए समाज के परस्पर हित की दृष्टि के सब विषयों पर आपसी सद्भावना एवं उत्साह को प्रोत्साहन देना।

4. अनु.जाति एवं पिछड़ी जाति के बालक-बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना एवं उनके लिए आवासीय छात्रावास का संचालन करना। गरीब एवं असहाय वृद्धों की देखभाल एवं उनकी हिफाजत के लिए डे केयर सेन्टर एवं वृद्धाश्रम का संचालन करना।

5. समाज से पिछड़े गरीब तबके सरकार से सुविधा मे मुहैया करना है एवं अनु.जाति, अनु.जनजाति पिछड़ी जाति एवं विधवा परित्यकता एवं विकलांगों के लिए अनाथालयों का संचालन करना। महिलाओं एवं गरीब परिवार के व्यक्तियों के लिए आर्थिक कार्यक्रम का संचालन करना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना।

6. ग्रामीण प्रोद्योगिकी को विकसित करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम का संचालन करना। हरित क्रान्ति लाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना। उन्नत खेती करने के लिए नवीन वेज्ञानिक विधि से पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर सेमिनार आयोजन कर प्रशिक्षण का आयोजन करना। वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए किसानों को तकनिकी ज्ञान देना।

प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव आई.टी.आई.(प्रा.) ट

अध्यक्ष
श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक

सचिव
श्री गोविन्द देव सेवा समिति

कोषाध्यक्ष

7. जान लेवा बिमारी एड्स के लिए बचाव के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य परियोजनाओं का संचालन करना। पर्यावरण सम्बन्धी सभी कार्यक्रम आयोजित करना। अनु.जाति/पर्यावरण सम्बन्धी सभी कार्यक्रम आयोजित करना। अनु.जाति/अनु. जनजाति/बीपीएल निर्धन परिवार को स्वयं सहायता समूह बनानकर उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना व रोजगार दिलाना।

8. राष्ट्रीय विकास एवं समाज सेवा के कार्यों के प्रचालन में सहयोग प्रदान करना जैसे परिवार कल्याण, टीकाकरण, प्रोढ शिक्षा, महिला शिक्षा, पेड़ लगाना, महिला समानता जो संरक्षक एवं गौशाला निर्माण आदि शिक्षा के क्षेत्र में समस्त उच्च शिक्षा हेतु कम्प्युटर प्रशिक्षण विद्यालय, नर्सिंग स्कूल, विधि महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पशुधन सहायक ट्रेनिंग केन्द्र, महिला महाविद्यालय, आई.टी.आई. केन्द्रों की स्थापना करना तथा केन्द्रों व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त शिक्षाओं के विकास हेतु कार्य करना।

9. सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में मदद करना, दहेज प्रथा, नुकता प्रथा, स्त्री पुरूष समानता, नशाबन्दी, नशीली दवाओं का उपयोग, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने में सहभागिता निभाना। स्वास्थ्य स्वच्छता पर कार्य करना। महापुरूषों की जयन्तियां एवं राष्ट्रीय पर्वो को सार्वजनिक रूप से मनाना, आंगनवाड़ी केन्द्रो व स्कूलों व सरकारी योजनाओं में मिड–डे–मिल का कार्य करना।

10. उपभोक्ताओं के प्रचार–प्रसार के माध्यम से जानकारी देना। सड़क के किनारे पहाड़ी क्षैत्र (ढालू) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को जुटाना। निर्धुम चूल्हों, बायो गैस (गोबर गैस) एवं सौर ऊर्जा/वन्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु शिविर लगाना।

11. रेशम कीट पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन की जानकारी देना एवं इसे संगठित करने का प्रयास करउना व प्रशिक्षण देना। बाल श्रमिक एवं बन्धक मजदूरों के पक्ष मे वातावरण तैयार करना व इस प्रथा को उन्नत करने में सक्रिय प्रयास करना। बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं मृत्युभोज के विरूद्ध तैयार कर लोगों को जागरूक करना।

12. बाल अपराध एवं वैश्यावृति उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर इन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद करना। विधवा विवाह अर्न्तजातिय विवाह एवं सामुहिक विवाहों को प्रोत्साहित एवं प्रचारित करना। हस्तशिल्प, हेण्डीक्राफ्ट, नमदा, खादी पर प्रशिक्षण स्टाल व प्रदर्शनी व मेले आयोजित करना व कलस्टर बनाना, कपार्ट योजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कार्य करना।

13. युवाओं में राष्ट्रीय एकता सामुदायिक विकास, आपसी भेदभाव जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार–प्रसार में सहयोग देना युवाओं की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यवसायिक उन्नति हेतु गांवों में उपलब्ध संस्थाओं विभिन्न राजकीय विभागों, विकास अभिकरणों का सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन करना।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति मे कोई लाभ निहित नही है।

प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव आई.टी.आई.(प्रा.)टोंक

अध्यक्ष
श्री गोविन्द देवसेवा संस्थान

सचिव
श्री गोविन्द देव से...

कोषाध्यक्ष

संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :–

क. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	अशोक कासलीवाल पुत्र स्व.श्री प्रेमचन्द जैन	वकालात	5, शास्त्री नगर, टोंक	अध्यक्ष
2.	सजनी चौधरी पत्नी श्री भंवरलाल चौधरी	समाजसेवा	9/2, विकास विहार कॉलोनी, देवली रोड, टोंक	सचिव
3.	वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	समाजसेवा	2/235, हाऊसिंग बोर्ड, टोंक	कोषाध्यक्ष
4.	दिनेश कुमार बुन्देल पुत्र श्री रामरतन कोली	व्यवसायी	ऋषी कुंज, सुभाष कॉलोनी, न्यु बस स्टेण्ड, टोंक	सदस्य
5.	धर्मेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री पृथ्वीसिंह राजावत	समाजसेवा	मेहन्दी बाग, कारीगरों की गली, टोंक	सदस्य
6.	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री महेश कुमार शर्मा	गृहिणी	ग्राम चमनपुरा, पोस्ट लाम्बा, तह. व जिला टोंक	सदस्य
7.	श्रीमती कन्या देवी पत्नी श्री बाबूलाल यादव	गृहिणी	ग्राम बिचपुडी, पंचायत चन्दलाई, तह. व जिला टोंक	सदस्य
8.	सूरज चौधरी पुत्र श्री हीरालाल चौधरी	समाजसेवा	आदर्श नगर, टोंक	सदस्य
9.	श्रीमती रतनी पत्नी श्री सूरजमल जाट	गृहिणी	ग्राम पंचायत टिटोडी, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाडा	सदस्य
10.	श्रीमती अनीता यादव पत्नी श्री प्यारेलाल यादव	गृहिणी	पार्क प्लाजा, सवाई माधोपुर चौराहा, टोंक	सदस्य
11.	रामजस जाट पुत्र श्री रघुनाथ जाट	कृषक	ग्राम बालापुरा, पंचायत देवपुरा, तह. व जिला टोंक	सदस्य
12.	श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री नवीन शर्मा	गृहिणी	अमीरगंज, टोंक	सदस्य
13.	श्रीमती सीमा पत्नी श्री राजेश खण्डेलवाल	गृहिणी	गली नसवारान, काफला बाजार, टोंक	सदस्य
14.	श्रीमती भारती जांगिड़ पत्नी श्री चैतन जांगिड़	गृहिणी	गली नं. 8, न्यु गोविन्द नगर, रामगंज, अजमेर	सदस्य
15.	दिलीप कुमार पुत्र श्री किशनचन्द्र रामचन्दानी	व्यवसायी	2/476, मालवीय नगर, जयपुर	सदस्य

अध्यक्ष
श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक

सचिव
श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक

लगातार...4

प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव आई.टी.आई(प्रा.)टोंक

CamScanner

//4// (५)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :–

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	अशोक कासलीवाल पुत्र स्व.श्री प्रेमचन्द जैन	वकालात	5, शास्त्री नगर, टोंक	[signature]
2.	सजनी चौधरी पत्नी श्री भंवरलाल चौधरी	समाजसेवा	9/2, विकास विहार कॉलोनी, देवली रोड, टोंक	सजनी
3.	वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	समाजसेवा	2/235, हाऊसिंग बोर्ड, टोंक	[signature]
4.	दिनेश कुमार बुन्देल पुत्र श्री रामरतन कोली	व्यवसायी	दिशी फ्लैट, सुभाष कॉलोनी, न्यु बस स्टैण्ड, टोंक	[signature]
5.	धर्मेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री पृथ्वीसिंह राजावत	समाजसेवा	मेहन्दी बाग, कारीगरों की गली, टोंक	[signature]
6.	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री महेश कुमार शर्मा	गृहिणी	ग्राम वमनपुरा, पोस्ट लाम्बा, तह. व जिला टोंक	सीता
7.	श्रीमती कन्या देवी पत्नी श्री बाबूलाल यादव	गृहिणी	ग्राम बिचपुडी, पंचायत चन्दलाई, तह. व जिला टोंक	[signature]
8.	सूरज चौधरी पुत्र श्री हीरालाल चौधरी	समाजसेवा	आदर्श नगर, टोंक	[signature]
9.	श्रीमती रतनी पत्नी श्री सूरजमल जाट	गृहिणी	ग्राम पंचायत टिटोडी, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाडा	रतनी
10.	श्रीमती अनीता यादव पत्नी श्री प्यारेलाल यादव	गृहिणी	पार्क प्लाजा, सवाई माधोपुर चौराहा, टोंक	अनीता
11.	रामजस जाट पुत्र श्री रघुनाथ जाट	कृषक	ग्राम बालापुरा, पंचायत देवपुरा, तह. व जिला टोंक	रामजस
12.	श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री नवीन शर्मा	गृहिणी	अमीरगंज, टोंक	ममता
13.	श्रीमती सीमा पत्नी श्री राजेश खण्डेलवाल	गृहिणी	गली नसवारान, काफला बाजार, टोंक	सीमा
14.	श्रीमती भारती जांगिड़ पत्नी श्री चैतन जांगिड़	गृहिणी	गली नं. 8, न्यु गोविन्द नगर, रामगंज, अजमेर	भारती
15.	दिलीप कुमार पुत्र श्री किशनचन्द्र रामचन्दानी	व्यवसायी	2/476, मालवीय नगर, जयपुर	[signature]
16.	अनीता दिक्षित पत्नी श्री एस.पी.दिक्षित	गृहिणी	1/30 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, टोंक	[signature]
17.	कैलाश तंवर पुत्र श्री मोहनलाल तंवर	समाजसेवा	कुम्हारों की चौकी, बलाईयों का मोहल्ला, काली पलटन टोंक	[signature]

लगातार...5

अध्यक्ष
श्री गोविन्द देव सेवा समिति टोंक

सजनी
श्री गोविन्द देव सेवा समिति टोंक

प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव आई.टी.आई.(प्रा.) टोंक

CamScanner

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
18.	हनुमान प्रसाद जैन पुत्र श्री कोमलचन्द जैन	व्यवसायी	सुभाष चौक, टोंक	हनुमान प्र
19.	राजीव अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल गुप्ता	समाजसेवा	रघुनाथपुरी बड़ा तख्ता, टोंक	Rajiv
20.	नसीम अहमद पुत्र श्री शेख अहमद	व्यवसायी	अजीतगंगा स्कूल के पास, रजबन टोंक	N. Ahmed
21.	राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	समाजसेवा	काफला बाजार, टोंक	राजेन्द्र शर्मा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होने हमारे समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं। हमें यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता)
प्रधानाचार्य
दरबार सीनि. माध्यमिक विद्यालय
टोंक (राज.)
ओमप्रकाश महावर
प्रधानाचार्य
रा० दरबार उ०मा०वि० टोंक।

2. हस्ताक्षर
(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता)
प्रधानाचार्य
रा.उ.मा.वि.टोंक

कोषाध्यक्ष

श्री गोविन्द देव सेवा समिति,टोंक

श्री गोविन्द देव सेवा समिति,टोंक

1-संस्था का पंजीयन क्रमांक 65/टोंक/2012-13
2-संस्था का नाम श्री गोविन्द देव सेवा समिति टोंक
3-किस्म दस्तावेज संघ विधान पत्र
4-दस्तावेजों की संख्या (5)
5-दिनांक 6-3-2013

रजिस्ट्रार संस्थायें

1-नकल बाबत आवेदन ...
2-हस्ताक्षर करने वाले के ...
3-नकल ... की दि. 6-3-2013
4-नकल तैयार करने की दि 6-3-2013
5-नकल देने की दि. 6-3-2013

रजिस्ट्रार संस्थायें

लगातार...6

प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव आई.टी.आई.(प्रा.)टोंक

//6//

श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक (राजस्थान)

संघ विधान-पत्र नियमावली

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम : श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक (राजस्थान) है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 9/2 विकास विहार कॉलोनी, देवली रोड, टोंक (राज.) है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य** : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. शिक्षा का प्रसार, आदर्श बालकों का निर्माण, स्थान—स्थान पर शिक्षण संस्थाएँ खोलना।
2. बालकों के विकास के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा तकनिकी शिक्षण केन्द्र संचालित करना।
3. शिक्षकों के लिए समाज के परस्पर हित की दृष्टि के सब विषयों पर आपसी सद्भावना एवं उत्साह को प्रोत्साहन देना।
4. अनु.जाति एवं पिछड़ी जाति के बालक—बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने एवं उनके लिए आवासीय छात्रावास का संचालन करना। गरीब एवं असहाय वृद्धों की देखभाल एवं उनकी हिफाजत के लिए डे केयर सेन्टर एवं वृद्धाश्रम का संचालन करना।
5. समाज से पिछडे गरीब तबके सरकार से सुविधा में मुहेया करना है एवं अनु.जाति, अनु.जनजाति पिछड़ी जाति एवं विधवा परित्यकता एवं विकलांगों के लिए अनाथालयों का संचालन करना। महिलाओं एवं गरीब परिवार के व्यक्तियों के लिए आर्थिक कार्यक्रम का संचालन करना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
6. ग्रामीण प्रोद्योगिकी को विकसित करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम का संचालन करना। हरित क्रान्ति लाने के लिए जैविक खैती को बढ़ावा देना। उन्नत खेती करने के लिए नवीन वेज्ञानिक विधि से पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर सेमिनार आयोजन कर प्रशिक्षण का आयोजन करना। वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए किसानों को तकनिकी ज्ञान देना।
7. जान लेवा बिमारी एड्स के लिए बचाव के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य परियोजनाओं का संचालन करना। पर्यावरण सम्बन्धी सभी कार्यक्रम आयोजित करना। अनु.जाति/पर्यावरण सम्बन्धी सभी कार्यक्रम आयोजित करना। अनु.जाति/अनु. जनजाति/बीपीएल निर्धन परिवार को स्वयं सहायता समूह बनानकर उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना व रोजगार दिलाना।

लगातार...7

अध्यक्ष
श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक

सचिव
श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक

प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव आई.टी.आई (प्रा.)टोंक

11711 (2)

8. राष्ट्रीय विकास एवं समाज सेवा के कार्यो के प्रचालन में सहयोग प्रदान करना जैसे परिवार कल्याण, टीकाकरण, प्रोढ शिक्षा, महिला शिक्षा, पेड़ लगाना, महिला समानता जो संरक्षक एवं गोशाला निर्माण आदि शिक्षा के क्षेत्र में समस्त उच्च शिक्षा हेतु कम्प्युटर प्रशिक्षण विद्यालय, नर्सिंग स्कूल, विधि महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पशुधन सहायक ट्रेनिंग केन्द, महिला महाविद्यालय, आई.टी.आई. केन्द्रों की स्थापना करना तथा केन्द्रों व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त शिक्षाओं के विकास हेतु कार्य करना।

9. सामाजिक कुरूतियों के उन्मूलन में मदद करना, दहेह प्रथा, नुकता प्रथा, स्त्री पुरूष समानता, नशाबन्दी, नशीली दवाओं का उपयोग, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने में सहभागिता निभाना। स्वास्थ्य स्वच्छता पर कार्य करना। महापुरूषों की जयन्तियां एवं राष्ट्रीय पर्वो को सार्वजनिक रूप से मनाना, आंगनबाडी केन्द्रों व स्कूलों व सरकारी योजनाओं में मिड--डे--मिल का कार्य करना।

10. उपभोक्ताओं के प्रचार–प्रसार के माध्यम से जानकारी देना। सडक के किनारे पहाड़ी क्षैत्र (ढालू) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को जुटाना। निर्धुम चूल्हों, बायो गैस (गोबर गैस) एवं सौर ऊर्जा वन्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु शिविर लगाना।

11. रेशम कीट पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन की जानकारी देना एवं इसे संगठित करने का प्रयास करउना व प्रशिक्षण देना। बाल श्रमिक एवं बन्धक मजदूरों के पक्ष में वातावरण तैयार करना व इस प्रथा को उन्नत करने में सक्रिय प्रयास करना। बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं मृत्युभोज के विरूद्ध तैयार कर लोगों को जागरूक करना।

12. बाल अपराध एवं वैश्यावृति उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर इन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद करना। विधवा विवाह, अर्न्तजातिय विवाह एवं सामुहिक विवाहों को प्रोत्साहित एवं प्रचारित करना। हस्तशिल्प, हेण्डीक्राफ्ट, नगदा, खादी पर प्रशिक्षण स्टाल व प्रदर्शनी व मेले आयोजित करना व कलस्टर बनाना, कपार्ट योजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कार्य करना।

13. युवाओं में राष्ट्रीय एकता सामुदायिक विकास, आपसी भेदभाव जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार–प्रसार में सहयोग देना युवाओं की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सास्कृतिक एव व्यवसायिक उन्नति हेतु गांवों में उपलब्ध संस्थाओं विभिन्न राजकीय विभागों, विकास अभिकरणों का सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन करना।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

लगातार...8

अध्यक्ष
श्री गोविन्द देव सेवा समिति टौंक

सचिव
श्री गोविन्द ...

प्रिंसिपल
गोविन्द देव आई.टी.आई(प्रा.)टौंक

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :–

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हो।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरी समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :–

1–सरक्षक 2–विशिष्ठ

3–सम्मानीय 4–साधारण

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :–

1. संरक्षक राशि 500/– वार्षिक
2. विशिष्ठ राशि 200/– वार्षिक
3. सम्मानीय राशि 100/– वार्षिक
4. साधारण राशि 50/– वार्षिक

उक्त राशि एकमुश्त अथवा रूपये 1/12 की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निस्कासन : संस्था के सदस्य का निस्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्धेश्यों के विपरित कार्य करने पर।
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :–

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

लगातार...9

अध्यक्ष
श्री गौविन्द देवसेवा समिति

श्री गौविन्द देवसेवा समिति

प्रिंसिपल
गोविन्द देव आई.टी.आई.(प्रा.)टोंक

CamScanner

//9//

(5)

10. साधारण सभा की बैठकें : 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय नहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैद्यानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जा सकेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
3. मंत्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-बारह

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 3 पदाधिकारी व 12 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे:-

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तो का निर्धारण करना, उन्हें सेवामुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

लगातार...10

अध्यक्ष	सचिव	प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव शिक्षा समिति, टोंक	श्री गोविन्द देव शिक्षा समिति टोंक	श्री गोविन्द देव आई.टी.आई.(प्रा.) टोंक

(5)

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगेः–

1. अध्यक्ष :

1. बैठकों का आहुत करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. मंत्री : सचिव C.A. 21/5

1. बैठकें आहुत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

3. कोषाध्यक्ष :

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

लगातार...11

अध्यक्ष
श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक

सचिव
श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक

प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव आई.टी.आई.(प्रा.) टोंक

(6)

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1-संस्था का पंजीयन क्रमांक 65/टोंक/2012-13
2-संस्था का नाम श्री गोविन्द देव सेवा समिति टोंक
3-किस्म दस्तावेज विधान नियमावली
4-दस्तावेजों की संख्या (6)
5-दिनांक 6-3-2013
रजिस्ट्रार संस्थाएं

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जावे।
2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन सम्भव होगा।

17. कोष सम्बन्धित विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1. अध्यक्ष 51000/– रूपये
2. मंत्री 50000/– रूपये
3. कोषाध्यक्ष 25000/– रूपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखे–जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था का विधान में परिर्वतन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्धेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे–जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं टोंक को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पालना की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक (राजस्थान) की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष
श्री गोविन्द देव सेवा समिति, टोंक	सचिव श्री गोविन्द देव सेवा समिति	कोषाध्यक्ष श्री गोविन्द देव सेवा समिति

प्रतिलिपि प्रमाणित की जाती है
1-हस्ताक्षर पढ़ने वाले के
2-हस्ताक्षर सुनने वाले के
3-प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र देने की दि. 6-3-2013
4-प्रति तैयार करने की दि. 6-3-2013
5-प्रति देने की दि. 6-3-2013
रजिस्ट्रार संस्थाएं

प्रिंसिपल
श्री गोविन्द देव आई.टी.आई.(प्रा.)टोंक